

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

जोन क्रमांक-02, वैशाली नगर

// जोन-02 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रं. 22 कुरुद में एस.एल.आर.एम. सेंटर के पास स्थित गौ आश्रय केन्द्र (गौठान) का संचालन एवं रख-रखाव कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति द्वितीय आमंत्रण सूचना //

क्र./- लोकवि/जोन-2/न0नि0/2026/2933

भिलाई, दिनांक 27/03/2024

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत जोन-02 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रं. 22 कुरुद में एस.एल.आर.एम. सेंटर के पास स्थित गौ आश्रय केन्द्र (गौठान) का संचालन एवं रख-रखाव कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जा रही है। रूचि की अभिव्यक्ति में ऑफर दाता द्वारा एस.एल.आर.एम. सेंटर के पास स्थित गौठान के संचालन हेतु कान्सेप्ट प्लान, विस्तृत कार्य योजना, विस्तृत प्राक्कलन सहित, संचालन कार्य एवं रख-रखाव सहित दरें प्रस्तुत करना होगा। तीन लिफाफा पद्धति से दिनांक 15/04/2024 तक रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाता है। ऑफरदाताओं को लिफाफा 'A' में निविदा शुल्क राशि रु. 2500.00 का डी.डी. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं धरोहर राशि रु. 25,000.00 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. के रूप में जोन आयुक्त जोन-02, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं ऑफरदाता के संयुक्त नाम के साथ, जी.एस.टी. रिटर्न दस्तावेज, फर्म रजिस्ट्रेशन, पेन कार्ड, बैंक साल्वेंसी एवं संलग्न नियम शर्तों में उल्लेखित दस्तावेज, लिफाफा 'B' में कान्सेप्ट प्लान, विस्तृत कार्य योजना, विस्तृत प्राक्कलन एवं लिफाफा 'C' में वित्तीय ऑफर (Financial Offer) के साथ लिफाफा "D" में तीनों अन्य लिफाफे में भरकर रजिस्टर डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा। प्राप्त ऑफर लिफाफा "A" दिनांक 16/04/2024 को समय प्रातः 11:00 बजे खोली जावेगी। निर्धारित निविदा शुल्क धरोहर राशि एवं अन्य दस्तावेज के परीक्षण उपरांत प्राप्त होने के उपरांत पात्र ऑफरदाता का लिफाफा 'C' वित्तीय ऑफर (Financial Offer) खोला जावेगा। जिसकी पृथक से सूचना दी जावेगी। ऑफर खोले जाने के समय ऑफरदाता/उनके अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित रह सकते हैं।

नियम शर्तों का अवलोकन कार्यालयीन समय में जोन आयुक्त जोन-02 वैशाली नगर नगर पालिक निगम, भिलाई में की जा सकती है तथा नियम शर्तों एवं कार्यों की जानकारी नगर पालिक निगम, भिलाई के वेब साईट www.bhilainagarnigam.com एवं www.uad.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

जोन आयुक्त

(जोन-02)

नगर पालिक निगम

भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

जोन- 2 वैशाली नगर

कार्य का नाम :- जोन-02 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रं. 22 कुरुद में एस.एल. आर.एम. सेंटर के पास स्थित गौ आश्रय केन्द्र (गौठान) का संचालन एवं रख-रखाव कार्य । (वर्ष 2025-26)

// भाव पत्र //

क्र०	कार्य का विवरण	यूनिट	दर (दरें अंको एवं अक्षरों में दे)
01	जोन-02 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रं. 22 कुरुद में एस.एल.आर.एम. सेंटर के पास स्थित (गौठान) में प्रतिदिन साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था, चारा वितरण, पैरा कुट्टी का भण्डारण एवं वितरण, चौकीदारी कार्य हेतु। (कुल 12 श्रमिक हेतु निविदित दर प्रचलित श्रमायुक्त के दर के बराबर एवं कम नहीं होना चाहिये)	प्रतिश्रमिक प्रतिदिन	
02	Supply of fodder including loading unloading transporting complete work. (प्रति मवेशी अनुमानित खपत चारा :- 08 किलो प्रति मवेशी प्रतिदिन)	किलोग्राम	

एजेंसी का हस्ताक्षर

नाम :-

पता :-

मोबाईल न०:-

जोन् आयुक्त
जोन -02
नगर पालिक निगम भिलाई
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, मिलालई

जोन-02 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रं. 22 कुरुद में एस.एल.आर.एम. सेंटर के पास स्थित गौ आश्रय केन्द्र (गौठान) का संचालन एवं रख-रखाव कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत नियम एवं शर्तें


नगर पालिक निगम मिलालई जोन-02 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रं. 22 कुरुद में एस.एल.आर.एम. सेंटर के पास स्थित गौ आश्रय केन्द्र (गौठान) का संचालन एवं रख-रखाव कार्य कराया जाना है। जिस कार्य हेतु न्यूनतम ऑफर के आधार पर इच्छुक एजेंसी से रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आमंत्रित की जाती है जिसकी नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं।

1. ऑफरदाता को तीन लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रु 25000.00 का एफ.डी.आर. जोन आयुक्त जोन-02 नगर पालिक निगम मिलालई के नाम से जमा करना होगा। एजेंसी/संस्था/गौ सेवा समिति/गौ रक्षा समिति का रजिस्ट्रेशन, प्रमाण पत्र व्यक्ति का पहचान पत्र, जी.एस.टी., पेन कार्ड व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'ब' में कान्सेप्ट प्लान, विस्तृत कार्य योजना, विस्तृत प्राक्कलन सहित तथा लिफाफा 'स' में वित्तिय आफर (Financial Offer) भरकर प्रस्तुत करना होगा।
2. ऑफर दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें एवं निःशुल्क प्रदान किये जाने वाले चारा/वस्तु का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
3. ऑफरदाता को प्राप्त दर की स्वीकृति होने की सूचना प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनाम न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा ऑफर निरस्त किया जा कर अमानत राशि राजसात की जावेगी जिसमें स्मपूर्ण जवाबदारी आफरदाता की होगी। अनुबंध करने पश्चात जारी कार्यादेश के 07 दिवस अन्दर विषयांकित कार्य प्रारंभ करना होगा।
4. लगभग 200 पशुओं की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 3 वर्षों में पशुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए गौठान/पशु आश्रय स्थल में पर्याप्त स्थान एवं व्यवस्था का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।
5. पशुओं के संरक्षण एवं रख-रखाव हेतु नगर निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार लगभग 10 लाख रुपये तक की राशि का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे चारा, पानी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जा सकें।
6. वर्तमान स्थिति के अनुसार आश्रय स्थल में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर पशुओं के रख-रखाव की व्यवस्था की जाएगी तथा भविष्य में आवश्यकता होने पर अतिरिक्त व्यवस्थाएँ नगर निगम द्वारा की जाएंगी।

7. पशुओं के नियमित चिकित्सकीय जांच हेतु एक डॉक्टर (चिकित्सक) की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाएगी।
8. लेआउट के पूर्व साफ-सफाई निगम की मशीनरी द्वारा किया जावेगा आगे की कार्यवाही एजेंसी के द्वारा स्वयं किया जायेगा।
9. गौ आश्रय केन्द्र संचालन कार्य हेतु समस्त सामग्री एजेंसी/संस्था के द्वारा स्वयं के व्यय से उपलब्ध करायी जायेगी। (सामग्री विवरण :- फावड़ा, बेलचा, धमैला, घास कटर मशीन, हैंगींग मशीन, निर्धारित वर्दी, केनवास शूज, मास्क, गमबुट, दस्ताने, टोपी, एप्रॉन, मोजा, रेनकोट, पहचान पत्र)
10. निगम के अधिकारियों/संबंधित कर्मचारियों द्वारा गौ आश्रय केन्द्र संचालन के संबंध में समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. निविदाकार को छ.ग. राज्य में प्रचलित श्रम कानून का पूर्णतः कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से भुगतान की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर संबंधित निविदाकार के विरुद्ध श्रम कानून के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
12. कर्मचारी भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत श्रमिकों के भुगतान से भविष्य निधि राशि की कटौती कर संबंधित के भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक श्रमिक का बैंक में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खाते में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा करना होगा।
13. गौ आश्रय केन्द्र संचालन अत्यावश्यक व्यवस्था है इस परिस्थिति में इसकी निरंतरता बनाये रखने आवश्यक होगा, इसके लिये एजेंसी को 10 श्रमिकों की संख्या में श्रमिक नियुक्त रखना होगा, ताकि गौ आश्रय केन्द्र का संचालन व्यवस्था प्रभावित न हों।
14. कार्य की अवधि एक वर्ष की होगी। आवश्यकतानुसार कार्य की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी उक्त अवधि में अनुबंधित दरों एवं शर्तों पर कार्य करने हेतु अनुबंधित एजेंसी बाध्य होगी।
15. शिकायत पर निराकरण 24 घंटे के अंदर करना आवश्यक होगा, अन्यथा निम्नानुसार दण्ड राशि अधिरोपित की जावेगी:-

प्रथम त्रुटि -	$\frac{\text{अनुबंधित वार्षिक ठेके की राशि}}{365} \times \frac{10}{100} + 5000/-$
द्वितीय त्रुटि -	$\frac{\text{अनुबंधित वार्षिक ठेके की राशि}}{365} \times \frac{10}{100} + 5000/-$
तृतीय त्रुटि -	$\frac{\text{अनुबंधित वार्षिक ठेके की राशि}}{365} \times \frac{10}{100} + 15000/-$

तृतीय त्रुटि उपरान्त आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को एकपक्षीय अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।





लिये निविदा बुलाये/रूचि की अभिव्यक्ति बिना भी अन्य एजेंसी /द्वितीय निविदाकार/तृतीय निविदाकार/एवं अन्य निविदाकार को कार्य संपालन हेतु नियुक्त रोटेशनवार कार्य इस निविदा में स्वीकृत दरों पर 1.1,1.2,1.3..... क्रम में संपादित कराया जाएगा। चूंकि कार्य हेतु रोटेशन सूची तैयार होगी अतः समस्त एफ.डी.आर. की राशि कार्य समाप्ति के पश्चात ही वापस की जा सकेगी।


र निगम
एजेंसी

17. किसी भी आकस्मिक घटना/दुर्घटना की संपूर्ण जवाबदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी।
18. अनुबंधित एजेंसी को प्रतिमाह मासिक देयक कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई को प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत देयक से समस्त करों की कटौती कर देयक का भुगतान किया जावेगा।
19. किसी भी कारण से संचालन व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने की सूचना निगम के अधिकारियों को तत्काल दिया जाना अनिवार्य होगा।
20. संचालन एवं रखरखाव एवं चौकीदारी कार्य प्रतिदिन 24 घण्टे कार्यवधि के लिये होगी, इस अनुरूप एजेंसी को रात्रीकालीन पाली में नियुक्त 10 श्रमिकों को छोड़कर चौकीदारी हेतु 02 अतिरिक्त श्रमिक चौकीदार के रूप में रखना अनिवार्य होगा।
21. दर समस्त कर सहित देना होगा, पृथक से कर/शुल्क देय नहीं होगा।
22. कार्य के दौरान जियो टेग फोटो प्रिंट कराकर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
23. प्रदाय किये जाने वाले चारा पैरा-कुट्टी (भुसा) का उच्चगुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए। चारा के गुणवत्ता में खराबी, गंध या सड़न नहीं आना चाहिए, इस हेतु आवश्यकता अनुरूप ही सप्लाई के साथ भण्डारण किया जाना होगा। चारे की मवेशियों को वितरण होने पर मवेशियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने में आपकी जवाबदारी होगी।
24. गौ आश्रय केन्द्र में दानदत्ताओं के माध्यम से प्राप्त चारा, नेपियर ग्रास एवं अन्य हरे चारे की व्यवस्था एवं वितरण की व्यवस्था एजेंसी को स्वयं करनी होगी।
25. चारे भण्डारण के दौरान आगजनी होने के नुकसान का नगर निगम द्वारा द्वारा भुगतान नहीं किया जावेगा। अतएव परिसर में संचालन के दौरान सुरक्षात्मक तरीके से भण्डारण किया जाना आवश्यक होगा।
26. एजेंसी/संस्था द्वारा प्रदाय की जाने वाली सुखा भुसा चारा का धरमकांटा वजन पर्ची संधारित करते हुये पृथक पंजी में खरीदी की गयी सुखा चारे की मात्रा इंड्राज किया जाना अनिवार्य होगा। चारा परिवहन करने वाले वाहन का गाड़ी नंबर सहित जियो टेग फोटो, धरमकांटा वजन पर्ची एवं संधारित पंजी के आकड़ों के माध्यम से ही सुखा चारे का भुगतान देय होगा।

27. संचालन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों का दैनिक उपस्थिति पंजी संधारित किया जाना आवश्यक है तथा देयक के दौरान उपस्थिति पंजी सहित पी.एफ./ई.एस.आई.सी. तथा श्रमिकों को किये गये भुगतान की बैंक इस्टेटमेंट की कॉपी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
28. संबंधित एजेंसी/संस्था व समूह द्वारा गौ आश्रय केन्द्र (गौठान), कम्पोस्ट शेड, संबंधित अधोसंरचना एवं परिसर को साफ सुधार एवं व्यवस्थित रखा जाना होगा।
29. नगरीय निकाय की अनुमति से वर्मी कम्पोस्ट, अन्य कम्पोस्ट, गार्डन पाउडर, गोबर के दिये, आगरबत्ती, धूप बत्ती, गोबर लकड़ी, कंडे आदि सामग्री का निर्माण तथा विक्रय कर लाभांश अर्जित करना। विक्रय किये गये सामग्री का समुचित पंजी संधारित करते हुये रिकार्ड किया जाना अनिवार्य होगा।
30. प्राप्त किये गये लाभांश अर्जित राशि से गौ आश्रय केन्द्र के मवेशियों का स्वास्थ्यगत प्राथमिक उपचार, टीकाकरण, बधियाकरण, दवाईयां उपलब्ध करानें में व्यय किया जावेगा।
31. नगरीय निकाय के पूर्व अनुमति के बिना किसी भी निजी/सार्वजनिक कार्यक्रम गौठान में संचालित नहीं होंगे जिससे संचालन कार्य प्रभावीत हो।
32. गौठान केन्द्रों में समूह/संस्था/एजेंसी/ निगम के अधिकारियों के अनुरुद्ध अन्य व्यक्तियों को प्रवेश वर्जित रहेंगा।
33. नगरीय निकाय के पूर्व अनुमति के बिना गौठान एवं गौठान अंतर्गत संचालित योजनाओं से संबंधित जानकारी, आकड़े आदि को किसी भी माध्यम से किसी अन्य संस्था एवं व्यक्तियों से साझा नहीं करना होगा।
34. किसी भी विवाद की भी स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं अनुबंधित एजेंसी हेतु बंधनकारी रहेगा।


कार्यपालन अभियंता
जोन-02
नगर पालिक निगम,
भिलाई


सहायक अभियंता
जोन-02
नगर पालिक निगम,
भिलाई


उप अभियंता
जोन-02
नगर पालिक निगम,
भिलाई